न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 2023/70 GCMS (25/2023)

1 मलकीतसिंह पुत्र साधूसिंह जाति कम्बोसिख निवासी 8 जीडी–बी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

–––प्रार्थी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।

–––अप्रार्थी

उपस्थित :–

1 श्री हरजीतसिंह वकील, प्रार्थी की ओर से।
2 पैरोकार राज तहसीलदार घड़साना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
बाबत रास्ता स्वीकृत करने

–:: निर्णय ::– दिनांक : – 29.05.2023

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से तहसील घड़साना के चक 8 जीडी–बी के प0 नं0 06/12 मु0 नं0 21 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.200 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबा में से 1.033 है0 रकबा संयुक्त खाता में दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी है। लिपिकीय भूलवश प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मलकीयतसिंह पुत्र साधूसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम मलकीतसिंह पुत्र साधूसिंह जाति कम्बोसिख निवासी 8 जीडी–बी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मलकीयतसिंह पुत्र साधूसिंह दर्ज है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात जैस जॉब कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड, मोटरसाईकिल की आरसी, श्रमिक कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम मलकीतसिंह पुत्र साधूसिंह जाति कम्बोसिख निवासी 8 जीडी–बी चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मलकीयतसिंह पुत्र साधूसिंह दर्ज होने से प्रार्थी को लगान, सिंचाई कर, श्रण आदि को लेकर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी तमाम राजस्व रिकॉर्ड में अपना

नाम मलकीयतसिंह पुत्र साधूसिंह के स्थान पर मलकीतसिंह पुत्र साधूसिंह दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से भी बार–बार निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अप्रार्थी को भू–धाकर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है ताकि वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष रख सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के तमाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का सही नाम मलकीतसिंह पुत्र साधूसिंह जाति कम्बोसिख निवासी 8 जीडी–बी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखंण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में चलाये जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान में वकील प्रार्थी, प्रार्थी एवं अन्य सहकाश्तकारों द्वारा उपस्थित होकर सहकाश्तकारों का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम मलकीयतसिंह के स्थान पर मलकीतसिंह दर्ज करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड, मोटरसाईकिल की आरसी, श्रमिक कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी के सहाकाश्तकार सन्तोषसिंह पुत्र आशासिंह व साधूसिंह पुत्र आशासिंह द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार प्रार्थी का नाम मलकीतसिंह पुत्र साधूसिंह दर्ज है जबकि वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मलकीयतसिंह पुत्र साधूसिंह दर्ज है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मलकीयतसिंह पुत्र साधूसिंह दर्ज है। अतः जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मलकीयतसिंह पुत्र साधूसिंह सहवन से लिखा हुआ प्रतीत होता है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसील घड़साना के चक 8 जीडी–बी के प0 नं0 06/12 व मु0 नं0 21 के किला नं0 1 ता 25 की 6.200 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबा में से 1.033 है0 रकबा की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का

नाम मलकीयतसिंह के स्थान पर मलकीतसिंह लिखा जाकर दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार घड़साना को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना